संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
6वीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

क./उद्यान/अ–1/स्था/16–17/87 भोपाल दिनांक: 04/1/2017

//आदेश//

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–11/1/2008/नियम/चार/दिनांक 24.01.2008 एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 01 अप्रैल 2008, 04 अगस्त 2008 एवं 24 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के तहत संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, म.प्र. के अधिनस्थ कार्यरत **वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारियों** को कॉलम नम्बर 07 में दर्शाये गये समयमान वेतनमान, कॉलम नम्बर 08 में दर्शाई गई तिथि से स्वीकृत किया जाता है :–

शर्तें:–

1. समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22 (a)(i) के तहत होगा तथा वार्षिक वेतनवृद्वि की तिथि पूर्ववत ही रहेगी ।
2. सिविल सेवा के किसी सदस्य की पदोन्नति होने पर यदि वे पहले से पदोन्नति पद के वेतनमान पर इस योजना अन्तर्गत नियुक्त है, तो उसे पदान्नति पश्चात वेतन निर्धारण हेतु अपने मूल पद के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 डी के अन्तर्गत अथवा उच्चतर वेतनमान में प्राप्त वेतन में संदर्भ में मूलभूत नियम 22 (a)(ii) के अन्तर्गत जो भी अधिक लाभदायक होगा, को लाभ देय होगा ।
3. उच्चतर वेतनमान में वेतन नियतन पश्चात शासकीय कर्मचारी के वेतन नियमन की जांच संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा एवं पेंशन से कराना सुनिश्चित करें । तदपरान्त ही लाभ दिया जावें ।

क	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थल का नाम	शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक	संवर्ग में मूल वेतनमान	वर्तमान में प्राप्त वेतनमान	संवर्ग में 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर देय प्रथम समयमान वेतनमान	प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री अरूण कुमार गोयल	संयूक्त संचालक उद्यान ग्वालियर	23.01.2006	9300–34800 +3600	9300–34800 +3600	9300–34800 +4200	23.01.2016
2	श्री सुनील कुमार भदकारिया	शिवपुरी	05.07.2006	9300–34800 +3600	9300–34800 +3600	9300–34800 +4200	05.07.2016
3	श्री कायमसिंह धारीवाल	उज्जैन	23.01.2006	9300–34800 +3600	9300–34800 +3600	9300–34800 +4200	23.01.2016
4	श्री राजकुमार सगर	सहायक संचालक उद्यान(प्र.उ.) भोपाल	27.12.2006	9300–34800 +3600	9300–34800 +3600	9300–34800 +4200	27.12.2016

3/1/17

(सत्यानन्द)
संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
म.प्र. भोपाल

निरन्तर——2

E:\Letter R.S..doc

क./उद्यान/अ–1/स्था/सम.वे. /16–17/ 88

भोपाल दिनांकः–04/11/2017

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1.संयुक्त संचालक उद्यान/उप संचालक उद्यान/सहायक संचालक उद्यान, संभाग/जिला ________________ की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित को आदेश देने के पूर्व उनके सेवा रिकार्ड से यह सुनिश्चित करें कि संबंधित की समयमान वेतनमान पात्रता आदेश में वर्णित तिथि से आती है या नहीं, अथवा संबंधित के विरूद्व कोई विभागीय जॉच/निलंबन/दण्डादेश प्रभावशील तो नही है। यदि इस संबंध में विसंगति पाई जाती है, तो संबंधित को आदेश तामिल न करते हुए संचालनालय को तत्काल अवगत करावें ।

2.संबंधित श्री ______________________ वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, की ओर सूचनार्थ ।

3.आदेश नस्ती

3/11/17

संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
म.प्र. भोपाल

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
6वीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

क्र./उद्यान/अ–1/स्था/सम.वे./व.उ.वि.अधि./16–17/89 भोपाल दिनांक 05/1/2017

// आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ–11–1/2008/नियम/चार, दिनांक 24.01.2008 एवं तत्संबंधी जारी स्पष्टीकरण क्रमांक/एफ–11/1/2008 नियम/चार,भोपाल दिनांक 01.04.2008 समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 04.08.2008 एवं ज्ञापन दिनांक 24.09.2008 तथा मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग,वल्लभ भवन–मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ–11–17/2014/4/नियम/चार, भोपाल दिनांक 30. सितम्बर 2014 में निहित निर्देशानुसार विभाग में कार्यरत निम्नांकित **वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारियों** को समयमान वेतनमान (Time Scale Pay) दिया जाता है:–

(1) समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण मूलभूत नियम–22 (ए) (1) के तहत होगा एवं वेतन वृद्वि की तिथि पूर्ववत ही रहेगीं ।

(2) सिविल सेवा के किसी सदस्य की पदोन्नति होने पर यदि वह पहले से पदोन्नति पद के वेतनमान पर इस योजना अन्तर्गत नियुक्त है तो उसे पदोन्नति पश्चात वेतन निर्धारण हेतु अपने मूल पद के सन्दर्भ मे मूलभूत नियम–22 (डी) के अन्तर्गत अथवा उच्चतर वेतनमान में प्राप्त वेतन के संदर्भ में मूलभूत नियम –22 (डी) (ए) 2 के अन्तर्गत जो भी अधिक लाभदायक हो, का लाभ उपलब्ध होगा ।

(3) इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इन्कार करता है, तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अंतर्गत वित्तीय लाभ वापस नहीं लिया जावेगा, परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमान वित्तीय लाभ देय नहीं होगा ।

(4) उच्चतर वेतनमान में वेतन नियतन पश्चात शासकीय कर्मचारी के वेतन नियतन की जांच संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा एवं पेंशन कराना सुनिश्चित करें ।

(5)मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–11–17/2014/4/नियम/चार, दिनांक 30.09.2014 के कियान्वयन मे जिन सिविल सेवाओं के लिये वेतनमान का उन्नयन किया गया है उनके सदस्यों को इस संशोधित वेतनमान में काल्पनिक नियुक्ति पूर्व तिथि से मानते हुए इस योजना का लाभ दिनांक 01.07.2014 से दिया जावेगा ।

निरन्तर————2

(6) संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्य प्रदेश के अधिनस्थ कार्यरत वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारियों, को 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर निम्नानुसार समयमान वेतनमान, स्वीकृत किया जाता है ।

क्र	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थल	शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक	संवर्ग में मूल वेतनमान	वर्तमान में प्राप्त वेतनमान	संवर्ग में 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर देय तृतीय समयमान वेतनमान	तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	श्री रामनिवास कश्यप	उज्जैन	17.12.1986	9300—34800 +3600	15600—39100 +5400	15600—39100 +6600	17.12.2016
2	श्री रविन्द्र कुमार परमार	गुना	19.12.1985	9300—34800 +3600	15600—39100 +5400	15600—39100 +6600	19.12.2015
3	श्री राम शंकर शर्मा	सहायक संचालक उद्यान(प्र.उ.) पचमढी	19.12.1985	9300—34800 +3600	15600—39100 +5400	15600—39100 +6600	19.12.1985
4	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा	नीमच	17.02.1986	9300—34800 +3600	15600—39100 +5400	15600—39100 +6600	17.02.2016
5	श्री माधो सिंह तोमर	दतिया	16.12.1985	9300—34800 +3600	15600—39100 +5400	15600—39100 +6600	16.12.2015
6	श्री सुर्यभान सिंह	उप संचालक जबलपुर	17.02.1986	9300—34800 +3600	15600—39100 +5400	15600—39100 +6600	17.02.2016
7	श्री एम.एल. कुशवाहा	रतलाम	17.02.1986	9300—34800 +3600	15600—39100 +5400	15600—39100 +6600	17.02.2016

उच्चतर वेतनमान में वेतन नियतन पश्चात शासकीय कर्मचारी के वेतन नियतन की जांच संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा एवं पेंशन कराना सुनिश्चित करें । तदउपरान्त ही लाभ दिया जावें ।

3/1/17

(सत्यानंन्द)
संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
म.प्र. भोपाल

क./उद्यान/अ–1/स्था/सम.वे./व.उ.वि.अधि./16–17/90 भोपाल दिनांक 04/1/2017

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1.संयुक्त संचालक उद्यान/उप संचालक उद्यान/सहायक संचालक उद्यान संभाग/जिला —————— की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित को आदेश देने के पूर्व उनके सेवा रिकार्ड से यह सुनिश्चित करें कि संबंधित की समयमान वेतनमान पात्रता आदेश में वर्णित तिथि से आती है या नहीं, अथवा संबंधित के प्रति कोई विभागीय जॉच /निलंबन/दण्डादेश प्रभावशील तो नही है , यदि इस संबंध में विसंगति पाई जाती है तो संबंधित को आदेश हस्तांतरित न करते हुए संचालनालय को तत्काल अवगत करावें ।

2.संबंधित श्री ——————————वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, की ओर सूचनार्थ

3. आदेश नस्ती ।

संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
म.प्र. भोपाल

E:\Letter R.S..doc